न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 196 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00400
पूर्व प्रकरण संख्या : 168 / 14

श्रीमती अजबबानु पत्नि श्री आबिद अली बोहरा, निवासी मकान नम्बर 5 / 2, पुराना फतेहपुरा, उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पिता डालु भाट निवासी भल्लो का गुड़ा, तहसील निर्वा जिला उदयपुर
2. श्री गंगा पिता डालु भाट, निवासी भल्लो का गुडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. श्री घनश्याम पिता छगनलाल पानेरी, निवासी मकान नम्बर 54, पानेरियो की मादडी, उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

......प्रतिवादीगण

<u>**वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**</u>

निर्णय

दिनांक : 12.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसमें यह कथन किया है कि ग्राम एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 992 रकबा 0.1050 हैक्टर जो चाह नम्बर 990 से सिंचित होता हैं। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की हैं। उक्त आराजी में वादीया का 3 / 5 हिस्सा हैं। जो वादीया ने पूर्व खातेदार श्रीमती शिल्पा सोमानी से दिनांक 14.07.05 को जरिये विक्रय पत्र से खरीदा। जो कि पूर्व में उक्त 3 / 5 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। इस प्रकार वादीया का 3 / 5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3 / 10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1 / 10 हिस्सा उक्त आराजी में निहित हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण [illegible] उक्त आराजी का भौतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:02 IST
Reason: SelfAttested

बॅटवाड़ा ना होने से हमेशा बाउण्ड्रीवाल बनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को अपने हिस्से अनुसार बॅटवाड़ा करने बाबत वादीया द्वारा कहा गया लेकिन वे इसके लिये तत्पर नहीं है एवं वादीया के हिस्से को घटाकर उसपर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने अपने हिस्से अनुसार यानि वादीया के 3/5 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 3/10 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 के 1/10 हिस्से अनुसार डिकी पारीत की जाकर मौके पर बॅटवाड़ा कराया जायें एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारीत करायी जावे की वे अपने हिस्से की आराजी से अधिक जमीन पर कब्जा नहीं करें नाही परिवार के सदस्य ऐजेन्ट या नौकर से करायें।

प्रकरण में जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 13.03.18 को प्रतिवादीगण के जवाब अवसर बन्द किये जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया। वादीया द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जाकर दिनांक 26.11.19 को वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर प्रदर्श अंकित कराये गये। प्रतिवादीगण को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त उपस्थिति नहीं होने से साक्ष्य वादी जिरह के अवसर बन्द किये जाकर प्रकरण दिनांक 26.11.19 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु रखा गया। किन्तु प्रतिवादीगण के लगातार अनुपस्थित रहने से एवं साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने से दिनांक 03.12.19 को प्रतिवादी साक्ष्य अवसर भी बन्द किया गया एवं बहस हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी प्रकरण में दिनांक 11.12.2019 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया गया। राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा पटवार मण्डल कलड़वास तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 1992 रकबा 0.1050 हैक्टर भूमि का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्ष को सुचित करा उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बॅटवाड़ा कर बॅटवाड़ा पेश करने हेतु तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वार रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी अजबबानु द्वारा नामान्तरण संख्या 2593 से अपनी सम्पूर्ण भूमि संतोष मेनारिया पिता श्री परसराम मेनारिया निवासी मेन रोड़ मेनारिया गेस्ट हाउस के पास हिरणमगरी सेक्टर 05 को विक्रय कर दी है। वादी द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर देने के कारण प्रारभिक डिक्री की पालना किया जाना संम्भव नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मत है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु वादीगण वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार नहीं है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वादी अजबबानु द्वारा नामान्तरण संख्या 2593 से अपनी सम्पूर्ण भूमि संतोष मेनारिया पिता श्री परसराम मेनारिया निवासी मेन रोड़ मेनारिया गेस्ट हाउस के पास हिरणमगरी सेक्टर 05 को विक्रय कर दी है। प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से भी पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है, जिससे भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है एवं उक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहते है। वादी द्वारा भी अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर देने तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार नहीं होने से उक्त प्रकरण में वादीगण का कोई अनुतोष शेष नहीं रहता है। तहसीलदार गिर्वा के रिपोर्ट के आधार पर भी प्रारभिक डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:02 IST
Reason: SelfAttested